संख्या-23/2023/I/285799/2023 /001-71-2002-001-6-2022

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
2-निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 10 मार्च, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के अपेक्स ट्रामा सेन्टर, किडनी ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन एवं अन्य विभागों के लिये उपकरणों के क्रय हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एमई/बजट/2022-23/718, दिनांक 08.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के अपेक्स ट्रामा सेन्टर, किडनी ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन एवं अन्य विभागों के लिये उपकरणों के क्रय हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूॅजी लेखा पक्ष में संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के लेखाशीर्षक-4210-03-105-03-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में शासनादेश दिनांक 03.03.2023 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 1481.00 लाख (रूपये चौदह करोड़ इक्यासी लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता व उसका आडिट कराने आदि की जिम्मेदारी निदेशक, संस्थान की होगी।
2. उपकरणों का क्रय अनुमोदित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही किया जायेगा। वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही उपकरणों के क्रय की कार्यवाही संस्थान के स्तर से नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
3. संस्थान हेतु उपकरण/संयंत्र मद में प्राविधानित सीमा तक ही उपकरणों का क्रय किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में प्राविधानित धनराशि से अधिक का आहरण/व्यय नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा कर ली जाये। स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।
5. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13-2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित प्रतिबन्ध/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व निदेशक, संस्थान एवं वित्त नियंत्रक का होगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, आवश्यशकता एवं नियमानुसार किया जायेगा।
7. प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक/वित्त अधिकारी/ संबन्धित विभागाध्यक्ष की होगी।
8. दर अनुबन्ध/निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त नियंत्रक द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्ताावित उपकरण हेतु किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टियॉ न हो तथा बाजार में उपलब्ध प्रतिष्ठित कम्पनियों की विशिष्टियों (Technical Specification) का यथासम्भव समावेश किया जाये।
9. वित्त नियंत्रक द्वारा सी0वी0सी0 एवं वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट/आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट,/गवमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से संबंधित समय-समय पर निर्गत सुसंगत अद्यतन शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. निदेशक/वित्त नियंत्रक द्वारा क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. प्राइज जस्टिफिकेशन संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना निदेशक/वित्त अधिकारी/ विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। संस्थान के वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उपकरणों का क्रय किए जाने में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया हो और उपकरणों का क्रय न्यूनतम मूल्य पर किया जाय।
13. उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर वरीयता के अनुसार किया जायेगा। किसी भी स्थिति में स्वींकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।
14. वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (क्रयादेश/उपकरण स्थाापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
15. प्रोप्राइटरी श्रेणी के उपकरण के शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तनर आना स्वाभाविक है। अतः इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तींय नियमों के आधार पर सुनिश्चित किया जाय।
16. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यतकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्ययय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

17. सूची में अनुमोदित उपकरणों का क्रय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही सुनिश्चित किया जायेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में क्रय किये जाने की दशा में पुनः सूची पर अनुमोदन प्राप्त किया जयेगा।
18. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 14,81,00,000 (रुपये चौदह करोड़ इक्यासी लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050300 संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-23/2023/I/285799/2023/001-71-2002-001-6-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A071-20222023-71-2002-001-6-2022

विषय:- एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के अपेक्स ट्रामा सेन्टर, किड़नी ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन एवं अन्य विभागों के लिये वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपकरणों के क्रय हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति किये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	4210031052500 (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर प्रदेश के असेवित जनपदों में मेडिकल कालेज की स्थापना)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	38,00,00,000 रुपये अड़तीस करोड़ मात्र	38,00,00,000 रुपये अड़तीस करोड़ मात्र	14,81,00,000 रुपये चौदह करोड़ इक्यासी लाख मात्र	14,81,00,000 रुपये चौदह करोड़ इक्यासी लाख मात्र	23,19,00,000 रुपये तेईस करोड़ उन्नीस लाख मात्र	2022-2023
कुल					₹ 14,81,00,000	₹ 14,81,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	4210031050300 (संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ)	26 (मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र)	45,00,00,000 रुपये पैंतालीस करोड़ मात्र	14,81,00,000 रुपये चौदह करोड़ इक्यासी लाख मात्र	14,81,00,000 रुपये चौदह करोड़ इक्यासी लाख मात्र	59,81,00,000 रुपये उनसठ करोड़ इक्यासी लाख मात्र	2022-2023
कुल				₹ 14,81,00,000	₹ 14,81,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1-स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजी लेखा पक्ष में 25-पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर प्रदेश के असेवित जनपदों में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 4800.0 लाख के सापेक्ष रू0 1481.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/एम0एम0/बजट (2022-23)/1100 दिनांक-10.01.2023 द्वारा अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अपेक्स ट्रामा सेन्टर, किडनी ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन एवं अन्य विभागों के लिए क्रमश-रू0 498.00 लाख, रू0 487.00 लाख एवं रू0 496.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 1481.00 लाख की धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही कर लिया जायेगा, जिस कारण उक्तानुसार पुर्नविनियोग प्रस्तावित किया जा रहा है।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-409-E-3-526-X-2022-23-दिनांक:01-03-2023

सेवा में,

महालेखाकार,
(ए0 एण्ड ई0),
उ0प्र0 प्रयागराज।

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

(पवित्र कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या-62/2023/71-2002(001)/6/2022, दिनांक-03 मार्च, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।